अनुसन्धान
[INVESTIGATION]

अनुसन्धान का अर्थ
(MEANING OF INVESTIGATION)

किसी उद्देश्य के लिए किसी संस्था के खातों की परीक्षा करना अनुसन्धान कहलाता है। अनुसन्धान का क्षेत्र विस्तृत है, क्योंकि उसके लिए चिट्ठे एवं लाभ-हानि खाते का सत्यापन करने के अतिरिक्त अन्य कई महत्वपूर्ण सूचनाओं की जांच की जाती है। अनुसन्धान एक प्रकार का अंकेक्षण है जो किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है। अनुसन्धान का कार्य सरल भी नहीं है, अतः अनुसन्धानकर्ता चतुर, बुद्धिमान, कठिन कार्यकर्ता, योग्य एवं पर्याप्त शिक्षित व्यक्ति होना चाहिए।

अनुसंधान की परिभाषाएं
(DEFINITION OF INVESTIGATION)

(1) **स्पाइसर एवं पैगलर** के अनुसार, "किसी विशेष उद्देश्य के लिए खातों तथा लेखों की जांच को अनुसन्धान कहते हैं।"[1]

(2) **बाटलीबॉय** के अनुसार, "किसी व्यापार के गत कई वर्षों के लाभ या हानि की जांच करना ही अनुसन्धान कहलाता है, ताकि यह ज्ञात हो सके कि व्यापार की कमाने की सामान्य क्षमता क्या है तथा इन्हें कमाने के लिए कितनी औसत कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है, अथवा एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए व्यापार की सही आर्थिक स्थिति कैसी है।"[2]

(3) **डिक्सी** के अनुसार, "किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए खाता-बहियों के लेखों की जांच को अनुसन्धान कहते हैं। यह वास्तव में ऐसा अंकेक्षण है जिसका क्षेत्र उस विशिष्ट उद्देश्य की आवश्यकताओं के अनुसार कम या अधिक किया जा सकता है। इसका उद्देश्य इस प्रकार से उन वास्तविकताओं को प्रकाशित व प्रकट करना है जिससे कि वे व्यक्ति या संस्थाएं जिनके लिए यह किया गया है, निष्कर्ष निकाल सकें तथा निर्णय लेने की स्थिति में हो सकें।"[3]

---

1 "The term investigation, implies an examination of accounts and records for some special purpose." —*Spicer and Pegler*

2 "An investigation may be defined as an enquiry into the resultant profit or loss of any business for the past several years in order to ascertain the normal profit-learning capacity of the business and the necessary average working capital required in earning such profits, or with a view to ascertain the true financial condition of the business for a particular object in view." —*Batliboi*

3 "An investigation is an examination of accounting records undertaken for a special purpose. In fact, it is an audit of which the scope is limited or extended in accordance with the requirements of a particular purpose. Its subject is usually to discover and display the facts in such a manner as will enable the parties for whom it is understood to draw conclusion and make their decisions accordingly." —*Dicksee*

Scanned with CamScanner

अनुसन्धान की प्रमुख विशेषताएं
(MAIN CHARACTRISTICS OF INVESTIGATION)

1. अनुसन्धान एक विशेष पूर्व निर्धारित उद्देश्य के प्रति निर्दिष्ट होता है।
2. अनुसन्धान को प्रारम्भ करते समय सन्देह को आधार बनाया जाता है।
3. अनुसन्धान के कार्यक्षेत्र को आवश्यकतानुसार संकुचित एवं विस्तृत किया जा सकता है।
4. अनुसन्धान में निर्धारित उद्देश्य के अतिरिक्त महत्वपूर्ण तथ्यों का भी निरीक्षण किया जाता है।
5. अनुसन्धानकर्ता को अनुसन्धान के पश्चात् निष्कर्षों के सन्दर्भ में एक वृहत प्रतिवेदन देना होता है।

अंकेक्षण एवं अनुसन्धान में अन्तर
(DIFFERENCE BETWEEN AUDITING AND INVESTIGATION)

कभी-कभी विद्यार्थी यह गलत धारणा बना लेते हैं कि अंकेक्षण तथा अनुसन्धान एक ही हैं। अनुसन्धान किसी व्यापारिक संस्था की आर्थिक स्थिति के वास्तविक स्वरूप को मालूम करने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य प्रायः संस्था की लाभोपार्जन शक्ति का पता लगाना तथा छल-कपट की छानबीन करना है। अंकेक्षण और अनुसन्धान में निम्न मुख्य अन्तर हैं :

आधार	अंकेक्षण	अनुसन्धान
1. **उद्देश्य**	अंकेक्षण का प्रमुख उद्देश्य संस्था के खातों की सत्यता व नियमानुकूलता का पता लगाना है।	अनुसन्धान किसी विशेष उद्देश्य जैसे लाभ कमाने की क्षमता का ज्ञान करना या अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है।
2. **अवधि**	अंकेक्षण में व्यापार के खातों की जांच प्रतिवर्ष की जाती है।	अनुसन्धान में कई वर्षों के अंकेक्षित खातों की जांच होती है।
3. **नियोक्ता**	अंकेक्षण संस्था के मालिकों की ओर से कराया जाता है।	अनुसन्धानकर्ता के नियोक्ता प्रायः बाहरी व्यक्ति या संस्थाएं होती हैं।
4. **क्षेत्र**	अंकेक्षण का क्षेत्र सीमित होता है।	अनुसन्धान का क्षेत्र व्यापक व विस्तृत होता है।
5. **अस्तित्व**	उद्देश्य भिन्न होने के कारण अंकेक्षण का अस्तित्व पृथक् है।	अनुसन्धान अंकेक्षित खातों का होता है। अतः इसका अपना अलग अस्तित्व है। यह अंकेक्षण से अतिरिक्त कार्य है।
6. **आवश्यकता**	अंकेक्षण वैधानिक रूप से अनिवार्य है। अतः आवश्यक है।	अनुसन्धान में अनिवार्यता नहीं है।
7. **जांच का स्वभाव**	अंकेक्षण में जांच का आश्रय लिया जा सकता है। पूर्ण जांच नहीं की जाती है।	अनुसन्धान में गहन जांच होती है। जांच का दृष्टिकोण भिन्न होता है।
8. **योग्यता**	अंकेक्षक को चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट होना चाहिए।	अनुसन्धानकर्ता योग्य व अनुभवी लेखापाल भी हो सकता है।
9. **रिपोर्ट**	अंकेक्षण में रिपोर्ट अनिवार्य है। यह अधिनियम के अनुरूप दी जाती है।	अनुसन्धान में रिपोर्ट इसकी प्रकृति पर निर्भर होती है।
10. **कार्य सीमा**	अंकेक्षण की जांच का कार्य प्रपत्रों, प्रमाणकों व संलेखों की सहायता से किया जाता है।	अनुसन्धान में इन सबके अतिरिक्त अन्य तत्वों को भी ध्यान में रखना होता है।
11. **दृष्टिकोण**	अंकेक्षण में त्रुटि तथा कपट का पता लगाना प्रमुख दृष्टिकोण होता है।	अनुसन्धान में कार्य आलोचनात्मक दृष्टि से एक निश्चित निष्कर्ष निकालने के लिए किया जाता है।
12. **निर्भरता**	अंकेक्षण करने में अनुसन्धानकर्ता की रिपोर्ट पर निर्भर नहीं रहा जाता।	अनुसन्धान में अंकेक्षित खातों से सम्बन्धित रिपोर्ट पर विचार किया जाता है।

Scanned with CamScanner

अनुसन्धान करते समय ध्यान देने योग्य बातें
(POINTS TO BE REMEMBERED WHILE INVESTIGATION)

अनुसन्धान करते समय अनुसन्धानकर्ता को निम्नांकित बातों का ध्यान रखना चाहिए :

(1) **उद्देश्य**—अनुसन्धानकर्ता को अनुसन्धान के क्षेत्र, उद्देश्य एवं सीमाओं की जानकारी भली-भाँति कर लेनी चाहिए। उसको यथासम्भव इस सम्बन्ध में लिखित निर्देश प्राप्त कर लेने चाहिए।

(2) **प्रसंविदा**—अनुसन्धानकर्ता और नियोक्ता के मध्य लिखित प्रसंविदा किया जाना चाहिए जो कि दोनों के हित में होगा। इससे उत्तरदायित्व निर्धारण में सहायता मिलती है।

(3) **व्यापार की प्रकृति**—अनुसन्धान की प्रक्रिया के निर्धारण से पूर्व अनुसन्धानकर्ता को व्यापार के स्वभाव, कार्य एवं कार्य-पद्धति तथा नियम-उपनियमों से भली प्रकार जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।

(4) **अनुसन्धान की प्रकृति**—यदि अनुसन्धान अंकेक्षित हिसाब-किताब का किया जा रहा है, तो अनुसन्धानकर्ता का कार्य सुलभ हो सकता है। पर यह नहीं भूलना चाहिए कि उसका दायित्व किसी भी प्रकार कम नहीं होता है।

(5) **सहायक प्रपत्र**—अनुसन्धान के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उनको उन सभी पत्रों, संलेखों तथा प्रपत्रों को प्राप्त करना चाहिए जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके कार्य से सम्बन्ध है।

(6) **कार्य निष्पादन**—अनुसन्धानकर्ताओं को अपने दायित्व के अनुरूप संस्था के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा प्रबन्धकों के सम्बन्ध में जानकारी कर लेनी चाहिए। इनका व्यावहारिक तथा पुराना रिकॉर्ड उसको कार्य में सहायता दे सकता है।

(7) **विशेषज्ञों की सलाह**—अनुसन्धान की प्रक्रिया में आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त कर लेनी चाहिए। कुछ जटिल व्यवसायिक पहलुओं पर ऐसा करना अनिवार्य हो जाता है। **उदाहरण** : सम्पत्तियों का मूल्यांकन एवं विशेष कानूनी मामले।

(8) **सावधानी**—अनुसन्धान के अन्तर्गत उसको सावधानी तथा दक्षता का पूर्ण परिचय देना चाहिए।

(9) **गोपनीयता**—अनुसन्धान करते समय अपने कार्य तथा पद्धति सम्बन्धी बातों को गोपनीय रखने की आवश्यकता है। सन्देहास्पद स्थिति को बनाने का उसे प्रयास नहीं करना चाहिए।

(10) **प्रतिवेदन**—अन्त में उसको अपनी रिपोर्ट स्पष्ट, सही तथा तथ्यों सहित तैयार करनी चाहिए। रिपोर्ट तैयार करने में उसको निर्भीक होना चाहिए और किसी भी प्रकार के दबाव से प्रभावित नहीं होना चाहिए।

Scanned with CamScanner

अनुसन्धान के उद्देश्य
(OBJECTS OF INVESTIGATION)

अनुसन्धान निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है :

(1) **व्यवसाय के क्रय करने हेतु**—यदि कोई व्यक्ति, संस्था या कम्पनी किसी चलते हुए व्यवसाय को क्रय करना चाहती है तो वह उस व्यवसाय की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के मूल्यांकन के लिए, उनकी भौतिक रूप से उपलब्धता के लिए, व्यापार के भविष्य की लाभार्जन क्षमता निर्धारित करने के लिए, व्यवसाय का उचित क्रय मूल्य निर्धारण करने के लिए अनुसन्धान का कार्य कराया जाता है।

(2) **साझेदारी संस्था में नये साझेदार के प्रवेश पर**—जब कोई व्यक्ति किसी अन्य साझेदारी व्यवसाय में साझेदार बनने की इच्छा रखता है तो वह व्यक्ति उस संस्था का अनुसन्धान करता है। वह मुख्य रूप से व्यवसाय की अर्जन शक्ति, आर्थिक स्थिति, ख्याति के मूल्य निर्धारण एवं अन्य साझेदारों के स्वभाव, आदि के सम्बन्ध में अनुसन्धान करा सकता है।

(3) **कपट का पता लगाने हेतु**—अनुसन्धान प्रायः प्रबन्धकों द्वारा लेखा-पुस्तकों में की गई गड़बड़ी के पता लगाने के लिए भी किया जा सकता है। प्रबन्धकों द्वारा कपट बहुत सुनियोजित रूप से किये जाते हैं

Scanned with CamScanner

जिनको अंकेक्षक अंकेक्षण के द्वारा नहीं पता लगा सकता, अतः इस हेतु कपट का पता लगाने में अनुसन्धान का कार्य किया जाता है।

(4) **क्षतिपूर्ति की रकम के निर्धारण करने हेतु अनुसन्धान**—बीमा कम्पनियों द्वारा व्यवसाय को अग्नि, समुद्री दुर्घटना या अन्य प्रकार के बीमाओं से होने वाली हानियों की क्षतिपूर्ति के दावों के निर्धारण हेतु अनुसन्धान कराया जाता है।

(5) **कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत**—कम्पनी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की पूर्ति हेतु भी अनुसन्धान कराया जाता है। कम्पनी के समापन पर कम्पनी का समापक (Liquidator) कम्पनी की सम्पत्तियों एवं दायित्वों की वास्तविक स्थिति, उनके उचित मूल्यांकन के लिए अनुसन्धान कराता है।

(6) **व्यवसायों का एकीकरण करने पर**—वर्तमान समय में व्यवसायों का एकीकरण या संविलयन (Amalgamation & Absorption) या आधुनिक वाणिज्य की भाषा में कहें तो Merger & Acquisition के लिए व्यवसायों की लाभार्जन शक्ति, आन्तरिक स्थिति, क्रय मूल्य के निर्धारण हेतु अनुसन्धान आवश्यक है।

(7) **विनियोग हेतु अनुसन्धान**—जब कोई वित्तीय संस्था या बैंक या कोई अन्य कम्पनी अपने धन का विनियोग किसी अन्य उद्योग या व्यवसाय में करती है तो विनियोगकर्ता अपने धन की सुरक्षा हेतु उस व्यवसाय की प्रत्याय दर (rate of return), लाभार्जन शक्ति, प्रबन्ध स्तर, व्यवसाय की प्रकृति व उसके विकास के अवसर, वित्तीय स्थिति, आदि की जांच हेतु अनुसन्धान कराता है।

(8) **अंशों के मूल्यांकन हेतु**—कभी-कभी वित्तीय संस्थाएं या विनियोगी संस्थाएं अन्य संस्थाओं के अंशों को क्रय करने हेतु अंशों का मूल्यांकन करने हेतु भी अनुसन्धान कराती हैं। अंशों का मूल्यांकन विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग कर किया जाता है।

(9) **अन्य उद्देश्य हेतु**—निम्न अन्य उद्देश्यों हेतु अनुसन्धान कराया जा सकता है :

(i) निस्तारक द्वारा सम्पत्ति एवं दायित्वों का मूल्यांकन;

(ii) नीतियों एवं योजनाओं की सफलता की जांच हेतु अनुसन्धान आदि।

Scanned with CamScanner